

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

SDO

मुकाम

कीलपूर

नवलकिट

बनाम

डॉ. राजेश

किस्म मुकदमा

S3 RTA

नं.

122/2018

मन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
25.6.18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>केवलपुर</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा <u>S3</u> आर टी एक्ट के तहत पेश किया कि <u>नवलकिट कालु फिट फिं जोगेश श्रीवा</u> <u>एवं डॉ. राजेश फिं नाथु श्रीवा</u> द्वारा <u>आपकी सहस्ति से राजीनामा प्राप्त किया गया।</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>केवलपुर B की आ.नं. 26 खका 1.05</u> हे. अग्नि पक्षकारान डे कक्ष निम्नानुसार रहेगी</p> <p>① नवलकिट कालु फिं जोगेश श्रीवा ② डॉ. राजेश फिं नाथु राजेश 5.25.00</p> <p>आ.नं. <u>खका 24/1 0.35</u> सुगाई <u>6.65</u> आ.नं. <u>खका 26/1 0.35</u> सुगाई <u>6.65</u></p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>③ भागचन्द जोगेश फिं डेवा श्रीवा सा. कल्याणपुर</p> <p>आ.नं. <u>खका 26/2 0.35</u> सुगाई <u>6.65</u></p>	



उप खण्ड अधिकारी
बडीसादड़ी (विचाराधीन)